कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दुर्ग (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/740/अ.जि.म./2021 दुर्ग, दिनांक 26/04/2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 737 दिनांक 24.04.2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कंडिका 4 में वाक्यांश **आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक दी जाती है,** को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नवीन कंडिका 4-ए अंतःस्थापित की जाती है :-

4-ए. उपरोक्त अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक दी जाती है,

इसी प्रकार उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कंडिका 5 में वाक्यांश **स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फि्लपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।** को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नवीन कंडिका 5-ए अंतःस्थापित की जाती है :-

5-ए. उपरोक्त अवधि के दौरान सभी ऑनलाईन डिलीवरी जैसे अमेजॉन तथा फि्लपकार्ट एवं अन्य द्वारा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

(प्रेमा प्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)